प्राक्कथन

भारत के समाजार्थिक परिवर्तन में नगरों व कस्बों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर जहाँ एक ओर देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान, जो फिलहाल 50-55 प्रतिशत है, देने के साथ-साथ विश्व बाजार में महत्वपूर्ण हैं वहीं दूसरी ओर ये नवीनता और अन्य क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु हैं। परन्तु अधिकांश नगरों व कस्बों पर अवस्थापना तथा सेवा उपलब्धता के संदर्भ में काफी दबाव भी है। वर्ष 2001 में 50.3 प्रतिशत शहरी परिवारों को घर के अंदर पाईप द्वारा पानी नहीं मिल रहा था और इनमें से 44 प्रतिशत सेनिटेशन सुविधाओं से वंचित थे। यद्यपि 1990 के दशक के दौरान अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई परन्तु देश की 23.6 प्रतिशत शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार 14.12 प्रतिशत शहरी आबादी स्लमों में है जिनमें अधिकांश को मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। शहरों के अंदरूनी क्षेत्रों में व्यापक लापरवाही, अवनति और उपेक्षा दिखाई देती है जिसके आर्थिक परिणाम नकारात्मक हैं।

नगरपालिका संबंधी संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के बावजूद नगरपालिका प्रशासन और सेवा प्रावधान के जिम्मेदार अन्य संस्थानों को क्षमता व संसाधनों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है। अधिकांश नगरपालिकाएं, विशेषकर संपत्ति से संबंधित राजस्व जुटाने के अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग न कर पाने के कारण संसाधनों की कमी से ग्रस्त हैं। अत: सरकार वित्तीय संबंध बदले हैं परन्तु इससे उनके वित्त पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। नगरपालिका की वर्तमान लेखाकरण प्रणाली से नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता और न ही इससे विभिन्न सेवाओं पर किए गए खर्च और उसकी वसूली की जानकारी मिलती है। अलग-अलग संदर्भ में लागू अनेक कानूनों और प्रणालियों जैसे नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को जारी रखने से भूमि और आवास बाजार में अव्यवस्था फैली है जिससे बचा जा सकता था।

इस तथ्य को देखते हुए कि नगरों की यह स्थिति देश के समाजार्थिक लक्ष्यों और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के अनुकूल नहीं है, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) शुरू करने का निर्णय किया है। आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, कार्यक्षम उचित और अनुकूल नगरों के लक्ष्य के साथ शहरी नवीकरण मिशन में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

(i) नगरों की आर्थिक और सामाजिक अवस्थापना में सुधार;

(ii) सस्ते मूल्यों पर स्वामित्व की सुरक्षा सहित शहरी निर्धनों के लिए मूल सुविधाएं सुनिश्चित करना;

(iii) शहरी क्षेत्र में व्यापक सुधार, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी अवस्थापना और सेवाओं में निवेश के लिए बाधक कानूनी, सांस्थानिक और वित्तीय अवरोधों को दूर करना है;

(iv) संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका प्रशासन और उनकी कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण। इसमें स्थानीय व्यय के निर्णयों और निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं हेतु बजट नियतनों में पारदर्शिता की व्यवस्था है। मिशन का मूल तत्व है कि नगर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें और निर्धनता कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करें, इसके लिए राज्य और नगर दोनों स्तरों पर शहरी सुधारों के लिए प्रोत्साहन और सहायता देना; उपयुक्त सहायक ढांचा तैयार करना; नगरपालिका शासन की साख बढ़ाना तथा निर्धनों को सेवाएं सुलभ कराना अनिवार्य है।

सेवा अदायगी तथा प्रबंध और सुधार कार्यसूची के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की सामर्थ्य और संभावनाओं का पूरा उपयोग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तैयार किया गया है और तदनुसार इसमें निर्णय लेने में व्यापार, उद्योग, नागरिक दलों और समुदायों की सहभागिता का प्रावधान है। मिशन का सात वर्ष की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें प्रारंभ में 60 नगरों को शामिल किया जाएगा और उन्हें निर्धारित कार्यकलापों के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध होगी।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत अनुदान सहायता के लिए आवेदन करने हेतु भारत सरकार द्वारा पात्र नगरों से निम्नलिखित अपेक्षाएं की गई हैं:–

(i) मध्यावधि नगर विकास योजना (सी डी पी) तैयार करना;

(ii) परियोजना प्रस्ताव तैयार करना; तथा

(iii) शहरी क्षेत्र सुधार लागू करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना।

उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी करने और उनका संतोषजनक मूल्यांकन करने पर भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय/शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार और आवेदक नगर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा तथा भुगतान अनुसूची के अनुसार धनराशि दी जाएगी जो समझौता ज्ञापन का एक भाग होगा।

नगरों की सहायता के लिए भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय) ने निर्देशिका (टूलकिट) तैयार की है जिसमें जे.एन.एन.यू.आर.एम. की रूपरेखा और प्रक्रिया तथा (i) नगर विकास योजनाएं, (ii) परियोजना प्रस्ताव और (iii) शहरी सुधार कार्यसूची के कार्यान्वयन की समय-सीमा तैयार करने की विस्तृत पद्धति दी गई है। इसके अलावा टूलकिट में उन मानदंडों का ब्यौरा दिया गया है जिनके आधार पर परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा और शहरी सुधार कार्यसूची की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

राज्य सरकारें और पात्र नगर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

चित्रा चोपड़ा
सचिव
शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय

अनिल बैजल
सचिव
शहरी विकास मंत्रालय

विषय सूची

प्राक्कथन

पर्यवलोकन

ढाँचा एवं प्रक्रिया

नगर विकास योजना बनाना

परियोजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश

परियोजना मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

शहरी सुधार एजेंडे के कार्यान्वयन की समय-सीमा